



जल जीवन मिशन (हर घर जल)

ग्राम कार्य योजना (वी०ए०पी०)

वावा राम करन दास ग्रामीण विकास समिति गोरखपुर



जल संवर्धी उन सभी गतिविधियों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय की जीवन सुगमता को बेहतर बनाने में मदद करती है। (ग्राम पंचायत और / या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी०डब्लू०एस०सी०/पानी समिति/प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जाती है और डी०डब्लू०एस०एम० को प्रस्तुत किए जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमादित की जाती है। आई०एस०ए० द्वारा मार्गदर्शन सहायत प्रदान की जानी है।

1. तैयार की तारीख :- १३ - १२ - २०२३

ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख:- २६ - १२ - २०२३

डी०डब्लू०एस०एम० को प्रस्तुत किए जाने की तारीख:-

2. ग्राम का नाम:- दुर्दृढ़ कटेमा

ग्राम पंचायत का नाम:- दुर्दृढ़ लाटपा

ब्लाक का नाम:- पालिलनीमा

जिला का नाम:- कुशीनगर

राज्य का नाम:- उत्तर प्रदेश

ग्राम जानगणना कोडः-

(यदि लागू हो तो, बस्तियों की संख्या ओर उनके नाम)

1. ग्राम पंचायत संकल्प

3. ग्राम समुदाय की आकांक्षा:- ६ (संख्या) मधेशी कुंडो को और ७ (संख्या) कपड़े धोने/स्नान करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अर्थात् ८ घण्टे निर्धारित गुणवत्ता वाले एल०पी०सी०डी० जल की आपूर्ति वर्ष २०२१ तक ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए एफ०एच०टी०सी० प्रदान करना।

हम ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अंतःग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना के अपनल्प, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे और उसकी रक्षा करेंगे और उन्हें संदृष्टि नहीं करेंगे। हम अपने गंदले जल की व्यवस्था करेंगे और भीठे पानी को बचाएंगे।



यह संकल्प लिया जाता है कि पूँजी लगात का प्रतिशत और रख-रखाव लगात के परिणामित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।

- ❖ पानी की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र पी०एच०ई०डी०/आर०डब्ल्य०एस० विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।
- II. ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी०डब्ल्य०एस०डी०/पानी समिति/प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण
- 4. कौन सी समिति गांव में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी?

(ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति): G.P.W.S.C.

समिति को क्या कहा जाता है: वेठा मं पैथाल ट्रावटुडी समिति

अध्यक्ष का नाम: आशा देवी

लिंग: महिला

आयु:

सदस्य का नाम	लिंग	आयु
आशा देवी	महिला	३०
विवेक देवी	पुरुष	
राजेन्द्र	महिला	२८
मधुवर्ण	पुरुष	६०
लालमती	महिला	२८
उमा शुभ	पुरुष	५०
चंद्रशेखर	पुरुष	५५
द्विवेन्द्र राम	पुरुष	५०
जगदिंदु गोड	महिला	५५
मध्याल	पुरुष	२५
मधुमेह संभाल	पुरुष	७०
द्वाराला	पुरुष	६२
महेश देवी	पुरुष	५५
आशा देवी		३५



III. सामान्य विवरण

6.

2011 की जनगणना के अनुसार:	वर्तमान पंचायत/आंगनवाड़ी रिकार्ड के अनुसार
जनसंख्या 1304	वर्तमान जनसंख्या 1532
परिवारों की संख्या 214	परिवारों की संख्या 222
महिलाओं की संख्या 681	महिलाओं की संख्या 738
पुरुषों की संख्या 623	पुरुषों की संख्या 794
बच्चों की संख्या 211	बच्चों की संख्या 236
एफ0एच0टी0सी0 की संख्या 202	एफ0एच0टी0सी0 की संख्या 225

7. जनसंख्या अनुमान:

मध्यवर्ती चरण – वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 18 प्रतिशत वृद्धि):
किलोलीटर/दिन (के0एल0डी0) अंतिम चरण वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 32 प्रतिशत वृद्धि): किलोलीटर/दिन (के0एल0डी0)

8. वर्तमान मध्यवर्ती संख्या (पशुपालन रिकॉर्ड): 47

9. कृषि फसल पैटर्न: दोनों


प्रमुख फसलें	खरीफ	रबी
गन्ना		✓
धान	✓	
मखका		
कपास		
गेहूँ	✓	✓
अन्य		

10. औसत जिला वर्षा (मिमी0 में0): 12 नम्बर

11. स्थलाकृति (समतल, ढलान, आदि): नम्बर

IV. स्थिति विश्लेषण

12. क्या संसाधन मानचित्रण किया गया है? (हाँ/ नहीं)
(‘ग्राम कार्य योजना’ के साथ मानचित्र संलग्न करें)
13. क्या सामाजिक मानचित्रण किया गया है? (हाँ/ नहीं)
(‘ग्राम कार्य योजना’ के साथ मानचित्र संलग्न करें)



14.

क्र० सं०	सार्वजनिक संस्था का नाम	क्या एफ०एच०टी०सी० उपलब्ध है? (हाँ / नहीं)	क्या वर्षी जल संचयन संरचना उपलब्ध है? (हाँ / नहीं)	सोख्ता गड्ढों की उपलब्धता? (हाँ / नहीं)
1.	स्कूल	✓	✓	✓
2.	आंगनबाड़ी	✓	✓	✓
3.	स्वास्थ्य केन्द्र	✓	✓	✓
4.	ग्राम पंचायत भवन			
5.	अन्य			

पानी की कुल दैनिक आवश्यकता

15. पानी की वर्तमान आवश्यकता – जनसंख्या X दर: के०एल०डी०
 मावेशियों के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता: ३१८ के०एल०डी०
 मवेशी कुड़ों की आवश्यक संख्या: २९
 मध्यवर्ती चरण के लिए पानी की आवश्यकता – जनसंख्या X दर:
 के०एल०डी०
 अंतिम चरण के लिए पानी की आवश्यकता – जनसंख्या X दर: के०एल०डी०

पानी की आपूर्ति का इतिवृत्त

16. गांव में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त, सूखा/अकाल/चक्रवात/बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पैटर्न, पानी की उपलब्धता की सामान्य प्रवृत्ति:
 17. आपातकालीन व्यवस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टंकियों, रेल गाड़ियों आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति।
 18. पानी की आपूर्ति से संबंधित आंशिक कार्य, स्त्रोत को मजबूत करने का इतिवृत्त
 19. जल जनित रोगों का इतिवृत्त:

पानी की गुणवत्ता

20. फील्ड परीक्षण किट/वायल का उपयोग करके समुदाय के साथ जल गुणवत्ता की चौकसी के लिए अभिनिर्धारित तारीखें
 21. सैनिट्री निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तारीख: २१ दिसंबर



22. जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा/प्रस्तावित पेयजल स्त्रोत (स्त्रोतों) के पानी की गुणवत्ता: स्त्रोत का नाम (अवस्थिति):

मापदण्ड	तरीका	परिणाम
गंदगी	दृश्य तुलना	
पीएच	पट्टी रंग तुलना	0.7
पूर्ण लवणता	टिट्रीमेट्रिक विधि	
पूर्ण क्षारीयता	टिट्रीमेट्रिक विधि	
क्लोराइड	टिट्रीमेट्रिक विधि	
अमोनिया	दृश्य रंग तुलना	
फास्फेट	दृश्य रंग तुलना	
अवशिष्ट क्लोरीन	दृश्य रंग तुलना	
आयरन	दृश्य रंग तुलना	
नाइट्रोट	दृश्य रंग तुलना	0.3
फ्लोराइड	दृश्य रंग तुलना	
आर्सेनिक (हॉटस्पॉट में)	दृश्य रंग तुलना	0.6

कपड़े धोने / स्नान करने का स्थान

23. यह संभावना है कि गांव के कुछ गरीब इलाकों में कपड़े धोने के लिए और/या नल कनेक्शन के लिए पर्याप्त जगह न हो। ऐसे अभिनिर्धारित स्थानों की संख्या, जिनमें कपड़े धोने/स्नान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं:

अवस्थिति का नाम	घरों की संख्या	आवादी
	15	75

स्त्रोत स्थायित्व

24. भू-जल स्त्रोत के मामले में, क्या वोरवेल रिचार्ज संरचना है? (हाँ/नहीं)
25. गांव में उन मौजूदा जल भंडारों की सूची जिनका कायाकल्प/मरम्मत कार्य किया जाना आवश्यक है:



गंदले जल का प्रबंधन

26. उत्पन्न गंदला जल (जल आपूर्ति का 65 प्रतिशत): के ०एल०डी०
 अलग—अलग सोखता गड्ढों वाले परिवारों की संख्या: ७
 उन परिवारों की संख्या जिन्हें सोखता गड्ढों की आवश्यकता है: १२५
 आवश्यक सामुदायिक सोखता गड्ढों की संख्या: १५
 क्या अपशिष्ट तलछट तालाब की आवश्यकता है? (हाँ/नहीं):
 यदि हाँ, तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिर्धारित किया गया है:
 यदि नहीं, तो गंदला जल प्रबंधन के कौन से अन्य उपायों को अपनाया जाना चाहिए
 १०

III. जल आपूर्ति योजना

27. निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत एफ०एच०टी०सी० प्रदान किए जाएंगे:

- अंतिम छोर तक पहुंच के लिए पूर्ववर्ती एन०आर०डी०डब्ल्य०पी० के तहत शुरू की गयी योजनाओं की रेट्रोफिटिंग
- पूर्ण हो चुके आर०डब्ल्य०एस० की रेट्रोफिटिंग ताकि इसे जे०जे०एम० के अनुकूल बनाया जा सके
- निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जल/सिंग वाटर/स्थानीय या धरातली जल वाले गांवों में एस०वी०एस०
- शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गांवों में एस०वी०एस०
- वाटर ग्रिड/क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एम०वी०एस०
- मिनी सौर ऊर्जा आधारित पी०डब्ल्य०एस० जो एकान्त/आदिवासी बस्तियों में स्थित है।

28. अभिनिर्धारित जल स्रोत: ८१.८ तकनीकी-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना: ८१.८ या ८१.८-८१.८ इस योजना के लिए अभिनिर्धारित भूमि: वह तारीख, जिस पर यह भूमि पी०एच०ई०डी०/आर० डब्ल्य०० एस० विभाग को सौंप दी जाएगी: ८०.४ या योजना की लागत: भारत सरकार का हिस्सा:
 राज्य का हिस्सा: ८०.५ समुदाय का हिस्सा: ८०.५
 १००% व्यवितरण घरेलू अंशदान: १००% वार्षिक




प्रचालन व रख-रखाव शुल्क: ५०४, व्यक्तिगत घरेलू मासिक जल
शुल्क/प्रयोक्ता शुल्क: ५०४, कोई दूरस्थ वसावट
हो तो, अभिनिर्धारित पी०डब्ल्य०एस०: १००५.

III. मेल-जोल

निम्नलिखित तालिका में उन संभावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि/निधि मेल-जोल संभव है। ग्राम समुदाय द्वारा ग्राम की आवंश्यकताओं के अनुसार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।)

29.

योजना का नाम	केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग	संभावित गतिविधियों जो शुरू की जा सकती हैं	प्रस्तावित निधि
चौदहवां वित्त आयोग	ग्राम पंचायत	ग्रे-वाटर मैनेजमेंट, ड्रेनेज सिस्टम आदि।	७ क्लिप विधि
स्वच्छ भारत भिशन-ग्रामीण (एस०वी०स्म०-जी)	पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शवित्र मंत्रालय	ग्रे-वाटर मैनेजमेंट - सोख्ता गड्ढे (व्यक्तिगत/सामुदायिक), अपशिष्ट तलछट तालाब आदि।	४८।। भैंग विधि
एम०जी०एन०आर०ई० जी०एस०	ग्रामीण विकास मंत्रालय	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एन०आर०एम०) घटक के तहत सभी जल संरक्षण गतिविधियां	३।।०।।। २५१।।। १।। V.U.S.C.
एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई०डब्ल्य०एम०पी०)	भूमि संसाधन विभाग	वाटरशेड प्रबंधन/आर०डब्ल्य०एच० /कृत्रिम पुर्नमरण, जल निकायों का निर्माण/वृद्धि आदि	
जल भंडारों की मरम्मत, नवीनीकरण और जी०प०द्वारा	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	बड़े जल भंडारों का जी०प०द्वारा	
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण	वाटरशेड से संबंधित कार्य	
प्रधानमंत्री कृषि	कृषि, सहकारिता	जल की अधिक खपत	८।।



Scanned with CamScanner

सिंचाई योजना (पी०एम०के०एस०वाई०)	और किसान कल्याण मंत्रालय	वाली विभिन्न फसलों के लिए सूखम—सिंचाई का प्रावधान, एकवीफस से जल की निकासी को कम करने के लिए	
क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	वनीकरण, वन पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्जनन, वॉटरशेड विकास, आदि।	
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी०एम०के०एस०वाई०)	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	आर०डब्ल्यू०एस० योजनाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि	
समग्र शिक्षा	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	स्कूलों में पेयजल आपूर्ति का प्रावधान	✓
आकांक्षी जिला कार्यक्रम	नीति आयोग	जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकाधीन निधियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियाँ	
जिला खनिज विकास निधि (टी०एम०ए०एफ०)	राज्य	बड़े पैमाने पर जल संरक्षण गतिविधियाँ	
एम०पी०एल०ए०डी०	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एम०आ००एस०पी०आ०ई०)	अंतःग्राम अवसंरचना	
एम०एल०ए०एल०ए०ड०१०	राज्य	अंतःग्राम अवसंरचना	
संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान/जनजातीय उप योजना (टी०एस०ए०स०)	जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य	अंतःग्राम अवसंरचना	
दानदाता/प्रायोजक			✓

अध्यक्ष का हस्ताक्षर:



पी०एच०ई०डी०/आर०डब्ल्य०एस० विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर:-

आई०एस०ए० प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर (यदि लागू हो):

संपर्क विवरण

ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् बी०डब्ल्य० एस०सी०/पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि का अध्यक्षः

पंचायत सचिव का नाम और फोन नंबरः

जमीनी तकनीशियन का नाम और फोन नंबरः

पानी की गुणवत्ता की चौकसी सुनिश्चित करने के लिए पांच महिलाओं के नाम और फोन नंबरः

1. लक्ष्मिनाथ देवी
2. अमिता देवी
3. चुला
4. साविता
5. लिङ्मानावती देवी

पंप ऑपरेटर का नाम और फोन नंबरः

- ① दिजिन अली
- ② सुभानी छिया
- ③ मेहदी हसन

